मंगवाने के लिए 17 फरवरी 97 को एक व्यापार सूचना जारी की थी। आवेदन-पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख 28.2.97 थी, इस व्यापार सूचना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं नीचे दी जा रही है;-

(1) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ किसी बैंक द्वारा प्राप्त आन्तरिक आग्रिम प्रेषित राशि का प्रमाण संलग्न किया जाना है जिसमें एफ ओ बी मूल्य का 100 प्रतिशत अथवा किसी बैंक द्वारा अधिप्रमाणित परिवर्तन साख-पत्र अथवा संविदा की प्रमाणित प्रति अथवा निर्यात संविदा की एक प्रति, संविदा की कुल एक ओ बी मूल्य की 5 प्रतिशत सीमा की एक निष्पादन गारन्टी और मर्चेंट निर्यातक के मामले में उस चीनी मिल का नाम जहां से निर्यात के लिए चीनी की संविदा की जानी है, शामिल होना चाहिए;

(2) आवेदन-पत्र पस्तुत करने की आखरी तारीख को अथवा उससे पहले प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर एक साथ विचार किया जाएगा और यदि आवेदित मात्रा उपलब्ध निर्यात कोटे से अधिक पाई जाएगी तो इसका आबंटन आवेदक की निर्यात करने की क्षमता और निर्यात दायित्वोम का निर्वाह करने में आवेदक का पूर्व रिकार्ड, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए उच्चतम सकल इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा;

(3) उन आवेदनों के मामले में जिनमें 100 प्रतिशत आंतरिक राशि का प्रमाण-पत्र तथा अपरिवर्तनीय साख पत्र न लगा हो, तीन महीने की वैधता वाला आर सी ए सी इस शर्त पर जारी किया जाएगा कि यदि वैध अवधि के भीतर पोत-लदान नहीं किया गया तो, आवेदक द्वारा जमा की गई 5 प्रतिशत निष्पादन गारन्टी की राशि बिना किसी अग्रिम सूचना के जब्त कर ली जाएगी,

(4) यदि आवेदन-पत्र आवर्ती अपरिवर्तनीय साख-पत्र अथवा आंशिक पोत-लदान के लिए एक संविदा पर आधारित है तो आर सी ए सी संविदा में निर्धारित आंशिक पोत-लदान की सीमा तक ही जारी किया जाएगा।

(5) प्रत्येक आवेदक अपने आयात-निर्यात का कोड नम्बर (आई ई सी) और एपीडा/भारतीय निर्यातक परिसंध में पंजीकृत संख्या का ब्यौरा देना होगा और जो आवेदक एपीडा/किओ में वर्तमान में पंजीकृत नहीं है उन्हें आवेदन करने के एक महीने के भीतर अपने आप को

(6) 30 सितम्बर, 97 के बाद किसी संविदा का पंजीकरण करने अथवा निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रणाली के अंतर्गत आर सी ए सी प्राप्त करने के लिए सभी वास्तविक निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए व्यापार सूचना बनाई गई है ताकि देश के लिए सकल विदेशी मुद्रा आय बढाई जा सके।

Export Performance

901. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister COMMERCE be pleased to state:

(a) the value expressed in both rupees and US dollars of the country's exports during April-December 1996;

(b) whether the export performance in the current fiscal year compares satisfactorily with the performance in the immediate preceding years; and

(c) the details of the region-wise and commodity-wise break up of exports during 1996-97 compared with the performance during 1995-96?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (DR. BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) As per the DGCI&S data total exports in Rupee and Dollar terms during April-December, 1996, are Rs. 85623 Crores and US Dollars 24205 Million.

(b) The value of exports in both Rupee and Dollar terms during April-December 1996 has shown increase over the levels of the corresponding periods in 1995-96 and 1994-95.

(c) The details of region-wise and commodity-wise break-up of exports during April-December, 1996 and April-December 1995 are voluminous and contained in the latest
issue of "Foreign Trade Statistics of India {Principal Commodities and Countries) December, 1996", published by the DGCI&S, Calcutta.

Surplus Tobacco Production

902. SHRI N.GIRI PRASAD:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the Minister COMMERCE be pleased to state

(a) whether Government are aware of the problems being faced by the Andhra Pradesh and Karnataka tobacco farmers due to the huge accumulated surplus production with them; and